रजिस्ट्री संख्या डी. एच.—33001/92 REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं0 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 29, 1992/भाद्रपद 7, 1914
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 29, 1992/BHADRA 7, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1992

का.नि.आ. 195—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में मानकीकरण निदेशालय के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है,

रक्षा मानक सैल ईच्छापुर

[सं. एफ-1(2)/92/रक्षा (राजभाषा-2)]
मणिराम, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 14th July, 1992

S.R.O. 195.—In pursuance of sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules 1976 the Central Government hereby notifies following office of Directorate of Standardization 80 per cent staff whereof has acquired working knowledge of Hindi :

Defence Standardization Cell, Ichapur.

[F. No. 1(2)/92/D(OL-2)]
MANI RAM, Director (OL)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1992

का.नि.आ. 196.— केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत श्री बलबीर सिंह, चौकीदार और श्री पुन्नो प्रसाद, चौकीदार के विरूद्ध 28 नवम्बर 90 के आदेश सं. 097805/एस.एस. स्था. (सिव.3) के तहत जांच की जा रही है और आई.सी.–38628 एम, मेजर के. सी. नायक को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि उक्त विभागीय जांच के प्रयोजन से यह आवश्यक है कि सूबेदार आर. पी. यादव (सेवा-निवृत्त) को साक्ष्य के रूप में बुलाया जाए।

3. अतः विभागीय जांच (साक्ष्यों की उपस्थिति का प्रवर्त और दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 18) के खण्ड 4 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मेजर के.सी. नायक को जांच प्राधिकारी के रूप में प्राधिकारी प्रदत्त करती है ताकि वे उक्त अधिनियम के

खण्ड 5 में उल्लिखित शक्तियों को प्रयोग करते हुए सूबेदार आर.पी. यादव (सेवा-निवृत्त) को समन जारी कर सकें।

[म. 47010/आर.ई.पी./आई.एम.ए./जी.एस./एम.टी - 7/2607/रक्षा (श्रम)]

रीता चैटर्जी, अवर सचिव

New Delhi, the 27th July, 1992

S.R.O. 196.—Whereas, an inquiry under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 is being held against the officers, namely, Shri Balbir Singh, Chowkidar and Shri Punnu Prasad, Chowkidar vide order No. 097805/SS/EST (Civ-3) dated 28th November, 1990 and IC-38628M Major K. C. Naik has been appointed as Inquiry Authority.

2. Whereas, the Central Government is of the opinion that for the purposes of the said departmental inquiry it is necessary to summon Sub. R. P. Yadav (Retd.) as a witness.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972) the Central Government hereby authorises Major K. C. Naik, Inquiring Authority, to exercise the powers specified in Section 5 of the said Act in relation to issue of summons to Sub R. P. Yadav (Retd.).

[No. 47010/Rep IMA/GS/MT 7/2607/D (Lab)]

RITA CHATTERJEE, Under Secy.

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992